

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6 /अ0-03-03 /2024

पटना, दिनांक-

श्रीमती ज्योति कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-13.08.2024 से 17.09.2024 तक कुल 36 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक-18.09.2024 से 20.06.2025 तक कुल 276 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती ज्योति कुमारी के अवकाश लेखा में (36-36=00) (शून्य) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6 /अ0-03-03 /2024 677

/पटना, दिनांक- 19/02/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, वैशाली/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), हाजीपुर
अंचल, हाजीपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं
श्रीमती ज्योति कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को
सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।